

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रपत्र 2

(नियम 8 देखिये)

छत्तीसगढ़ विधान सभा के/की सत्र समिति के संबंध में

की गई यात्रा के बारे में विवरण

1. सदस्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
2.

	प्रस्थान		आगमन		दूरी	किराया	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
	स्थान	तिथि व समय	स्थान	तिथि व समय			
		आने की यात्रा					
(1) निवास स्थान से निकटतम रेल हेड या राज्य परिवहन उपक्रम के निकटतम बस स्टाप तक की गई यात्रा.							
(2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
(3) रेल द्वारा की गई यात्रा.							
(4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							
		वापसी यात्रा					
(1) बैठक के स्थान से रेल द्वारा की गई यात्रा.							
(2) राज्य परिवहन उपक्रम की बस से की गई यात्रा.							
(3) निकटतम रेल हेड या राज्य परिवहन उपक्रम के बस स्टाप से निवास स्थान तक की गई यात्रा.							
(4) अन्य प्रकार से की गई यात्रा.							

3. एक ही स्थान पर सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के छ: दिन पूर्व या छ: दिन पश्चात् तक की अंतरावधि में किसी अन्य समिति में उपस्थित होने पर उसका उल्लेख एवं यात्रा विवरण.....
4. रायपुर में ठहरने के दिनों की संख्या.....
5. रायपुर में ठहरने का पता.....

दिनांक.....

.....
सदस्य के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने उस यात्रा और कालावधि, जिसके यात्रा भत्ता हेतु इस बिल में दावा किया गया है, के लिए यात्रा भत्ता का पूर्व में दावा नहीं किया है और ऐसी यात्रा सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक थी.

तारीख

.....
सदस्य के हस्ताक्षर